न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 78/2022 दायरा दिनांक : 13.06.2022

रानी पुत्री गंगनाथ पत्नी बुधराम जाति नाथ साकिन मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर हाल चक 5 एलएसएम बाण्डा तहसील अनूपगढ़

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
2. जगदीश पुत्र गंगनाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर
3. सुलतान राम नाथ पुत्र गंगनाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर
4. मीरां पुत्री गंगनाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर
5. कैलाश पुत्री गंगनाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर
6. इन्द्रा पुत्री गंगनाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर
7. मदननाथ पुत्र गंगानाथ जाति नाथ निवासी मघेवाली ढाणी (1 एमएसडी) तहसील श्रीविजयनगर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा–75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित–
1. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6
3. श्री धनवीर हुन्दल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 व 7

:: निर्णय :: दिनांक :09.11.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया कि अपीलांट के पिता गंगनाथ पुत्र नत्थूनाथ के नाम वाके चक 1 एमएसडी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 218/192 के पत्थर न. 132/342 मुरब्बा न. 29 के किला न. 2 ता 8, 14 ता 16 की 2.530 है0 कमाण्ड़ भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज थी। अपीलांट के पिता का देहान्त होने बाद उनके जायज वारिसान में कमला पत्नी गंगनाथ, जगदीश, सुलतान राम, मीरां, कैलाश, इन्द्रा, रानी, मदननाथ पिसरान गंगनाथ कुल आठ वारिसान थे। गंगनाथ के देहान्त उपरांत जैर अपील भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट का नाम छोड दिया जबकि अपीलांट आवंटी गंगनाथ की जायज वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ही कयासों के आधार पर जैर अपील इंतकाल दर्ज कर दिया जो निरस्त योग्य है। जरिये अपील अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 359 दिनांक 29.01.2006 खारिज करने की प्रार्थना की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री धनवीर हुन्दल उपस्थित हुए तथा रस्पोंडेंट संख्या 1 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार नहीं था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का सुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांट अपीलाधीन भूमि के मूल आवंटी गंगनाथ की विधिक वारिस है जो आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलांट जैर अपील आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 व 7 तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 एवं पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की।

हस्तगत पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांट अपीलाधीन कृषि भूमि के मूल आवंटी गंगनाथ की विधिक वारिस है जो आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुंनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अपीलांट जब अपने पिता के रकबा के खातेदारी अधिकारी लेने बाबत पटवारी हल्का से दिनांक 16.5.2022 को मिला तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलांट द्वारा बिना किसी देरी के दिनांक 27.05.2022 को हस्तगत अपील माननीय न्यायालय में पेश कर दी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर कोई देरी नहीं की गई है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र ना तो अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा ना ही पैरोकार राज द्वारा पेश किया गया । दौराने बहस भी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र अधिवक्तागण द्वारा तथा पेरोकार राज द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील में गुणावगुण पर बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दौहराया तथा निवेदन किया कि अपीलांट के पिता गंगनाथ पुत्र नत्थूनाथ के नाम वाके चक 1 एमएसडी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 218/192 के पत्थर न. 132/342 मुरब्बा न. 29 के किला न. 2 ता 8, 14 ता 16 की 2.530 है० कमाण्ड़ भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज थी। अपीलांट के पिता का देहान्त होने बाद उनके जायज वारिसान में कमला पत्नी गंगनाथ, जगदीश, सुलतान राम, मीरां, कैलाश, इन्द्रा, रानी, मदननाथ पिसरान गंगनाथ कुल आठ वारिसान थे। गंगनाथ के देहान्त उपरांत जैर अपील भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट का नाम छोड दिया जबकि अपीलांट आवंटी गंगनाथ की जायज वारिस है। रेस्पोडेंटगण 2 ता 7 द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष जैर अपील भूमि के खातेदारी अधिकार लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड़ अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने से पटवार हल्का 4 जेएसडी से उक्त रकबा की जांच रिपोर्ट चाही गई जिस पर पटवार हल्का ने भी ये माना है कि उक्त इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से अपीलांट का नाम छुट गया है। चूंकि अपीलांट उक्त रकबा के आवंटी की विधिक वारिसान है जिसके रकबा के प्रति हित निहित है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर का जैर अपील इंतकाल संख्या 359 दिनांक 29.01.2006 खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 व 7 तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 ने संयुक्त बहस करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो हमे कोई ऐतराज नहीं है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट का नाम सहवन से रह गया था। यदि इंतकाज खारिज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि चक 1 एमएसडी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 218/192 के पत्थर न. 132/342 मुरब्बा न. 29 के किला [illegible] ता 16 की [illegible] कमाण्ड़ भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज थी। पत्रावली मे उपलब्ध कार्यालय ग्राम पंचायत बुगिया [illegible] द्वारा जारी गंगनाथ के वारिस प्रमाण दिनांक 15.9.2012 की फोटोकॉपी अनुसार गंगनाथ के [illegible] अपीलांट रानी भी शामिल है। आवंटी गंगनाथ की मृत्यु के बाद जैर अपील भूमि उसके [illegible] वारिसान के नाम विरास्तन दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु सहवन से जेर अपील इंतकाल दर्ज [illegible] रानी का नाम छुट गया, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी हल्का 4 जेएसडी की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2022 से साबित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंटससंख्या 2 ता 7 के अधिक्तागण ने भी अपील स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ का इंतकाल संख्या 359 दिनांक 29.01.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटी गंगनाथ के सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। उभय पक्ष दिनांक 23.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष पेश हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़(श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner